

ई-पेंशन योजना के अधीन पेंशन भोगियों के अधिकार

1. योजना के अधीन पेंशनर भारत वर्ष में कही भी निम्न बैंकों में अपना पेंशन खाता खुलवा सकते हैं :-

- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- पंजाब नेशनल बैंक
- सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
- सिण्डीकेट बैंक
- आई. डी. बी. आई. बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- आई. सी. आई. सी. आई. बैंक
- एच.डी.एफ.सी बैंक
- ऐक्सिस बैंक
- बैंक ऑफ इण्डिया

2- योजना के अधीन पेंशन प्राप्त करने हेतू पेंशन भोगी को प्रत्येक माह खजाना/उप खजाना में जाकर पेंशन फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक माह की पहली तारीख को पेंशन स्वतः पेंशन भोगी के बैंक खाते में जमा हो जायेगी तथा किसी भी परिस्थिति में यह प्रत्येक माह की सात तारीख से अधिक विलम्ब नहीं होगी। यदि पेंशन धारक को माह की सात तारीख के बाद भी पेंशन नहीं मिलती उस दशा में पेंशन भोगी सम्बन्धित कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी के अतिरिक्त अपनी शिकायत treasuries@hry.nic.in पर भी दे सकता है। जिसका समाधान आगामी तीन कार्य दिवसों में कर दिया जायेगा।

3- इस योजना के अधीन पेंशन भोगी को मंहगाई भत्ते की किश्त, पेंशन रिवीजन, एल.टी. सी भत्ता, लाईफ टाईम ऐरियर, निर्धारित आयु सीमा के बाद पेंशन बढ़ोतरी, कम्यूटिड पेंशन का रिस्टोरेशन एवं सरकार द्वारा प्रदत्त समय-समय पर पेंशन भोगियों को दिये

